"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2016—— आश्विन 1, शक 1938

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-29/2008/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 1 के उप-सरल क्रमांक (4) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"(4)	सहायक ग्रेड-एक	16	-	100%"		

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 2ख के उप-सरल क्रमांक (1) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"(4)	सहायक ग्रेड-एक	18	-	100%"		

No. F 1-29/2008/25-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Scheduld Tribes and Scheduld Castes Development Sub-ordinate (Class-III Ministerial) Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-serial number (4) and entries relating thereto of serial number 1 of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"(4)	Assistant Grade-I	16	-	100%"		

2. For sub-serial number (1) and entries relating thereto of serial number 2B of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"(4)	Assistant Grade-I	18	-	100%"		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.